

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल।

कार्यालयादेश

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-329/XXXI (15)G/2020-04 (सा0)/2021 दिनांक 28 अप्रैल 2021, शासनादेश संख्या-68/USDMA/792 (2020) दिनांक 20.04.2021 एवं शासनादेश संख्या-316/USDMA/792(2020) दिनांक 20.04.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं-

1. विश्वविद्यालय में समूह 'क' 'ख' के कार्मिकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत (100%) रहेगी तथा विश्वविद्यालय के समस्त अनुभागों/विभागों में समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति होगी, जिसका रोस्टर पृथक से जारी किया जायेगा।
2. ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलायी जा सकेंगी।
3. 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बिमारी से ग्रसित कार्मिक घर से ही (Work From Home) कार्य करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इनको कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
4. ब्लाइंड एवं दिव्यांग कार्मिकों (Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से छूट रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रो०(एम०एस०रावत)  
प्रभारी कुलसचिव

।।। कार्यालय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढवाल ।।।

संख्या-640/एसडीएसयूवी/प्रशासन/2021 दिनांक-29 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, कुलपति को, मा० कुलपति महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
3. परीक्षा नियन्त्रक/सहायक परीक्षा नियन्त्रक (मुख्य/व्या०)
4. वित्त अधिकारी।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय सम्बद्ध श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
6. निदेशक, निजी शिक्षण संस्थान, सम्बद्ध श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
7. श्री कुलदीप नेगी, निजी सचिव कुलपति को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

M. S. Rawat  
29.4.21  
प्रभारी कुलसचिव